राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर।

(कमरा नं. 230 द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर 302001)
(दूरभाष नम्बर 0141–2222422, ईमेल addldirector.rch@gmail.com)

क्रमांकःरापक/एआरटी एवं सरोगेसी अधि.2021/एम.एफ./2024/80 दिनांकः– 19/06/2024

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य में पंजीकृत विभिन्न एआरटी बैंक, एआरटी क्लिनिक लेवल प्रथम, एआरटी क्लिनिक लेवल द्वितीय तथा सरोगेसी क्लिनिकों द्वारा आईवीएफ प्रेग्नेंसी सफलता दर एवं उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाये जा रहे है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1. कोई भी एआरटी/सरोगेसी क्लिनिक लिंग जाँच का बढावा देने के सम्बन्ध में सोशल मिडिया, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगे।
2. आईवीएफ प्रेग्नेंसी सफलता दर एवं उपचार में व्यय होने वाली राशि के सम्बन्ध में सोशल मिडिया, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगे।
3. आईवीएफ/सरोगेसी प्रकिया में किसी भी तरह का Commercialization ना हो एवं Sperm, Oocyte and Embryo का दुरूपयोग ना हो यह भी सुनिश्चित करेगें।
4. आशयित दम्पति/महिला को आईवीएफ/सरोगेसी से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी प्रदान करेगें एवं समस्त आवश्यक प्रपत्र तथा सहमति पत्र प्राप्त करेगें।
5. सभी डोनर एवं सरोगेट माता का आवश्यक रूप से IRDA द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से निर्धारित अवधि का बीमा (स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा) करवायेगें।
6. एआरटी बैंक, एआरटी/सरोगेसी क्लिनिक द्वारा बिना एप्रोप्रियेट ऑथोरिटी की पूर्व अनुमति के अपने संस्थान का स्थान, कार्यरत स्टाफ, उपकरण को नहीं बदलेगे।
7. राज्य में पंजीकृत सभी एआरटी बैंक, एआरटी/सरोगेसी क्लिनिक उन्हें जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति संस्थान में ऐसी जगह प्रदर्शित करें जहाँ से सभी को आसानी से दिखाई देवें।
8. विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में मासिक सूचना प्रतिमाह की 05 तारीख तक भिजवाई जाना सुनिश्चित करेगें।

RajKaj Ref
8131352

Signature valid
Digitally signed by Kailash Prasad Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.06.19 10:55:05 IST
Reason: Approved

९. सभी एआरटी बैंक, एआरटी/सरोगेसी क्लिनिक एआरटी (विनियमन) अधिनियम 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पायें जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

उक्त परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. के.पी.शर्मा)
उपाध्यक्ष, एप्रोप्रियेट ऑथोरिटी
एवं अति. निदेशक (पक)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःरापक/एआरटी एवं सरोगेसी अधि.2021/एम.एफ./2024/ 80 **दिनांकः–** 19/06/2024

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, सचिव, Department of Health Research, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
6. निजी सहायक, अति. निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
7. राज्य नोडल अधिकारी, एआरटी एवं सरोगेसी राजस्थान।
8. समस्त प्रबन्धक/संचालक, एआरटी बैंक, एआरटी क्लिनिक एवं सरोगेसी क्लिनिक राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूम, को वास्ते विभागीय वेबसाईट पर एआरटीएवं सरोगेसी के वेबपेज पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. के.पी.शर्मा)
उपाध्यक्ष, एप्रोप्रियेट ऑथोरिटी
एवं अति. निदेशक (पक)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
8131352

Signature valid

Digitally signed by Kailash Prasad Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.06.19 10:55:05 IST
Reason: Approved